



भारत का खजापत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092020-222037
CG-DL-E-27092020-222037

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 27, 2020/आस्विन 5, 1942 (सaka)
No. 48] NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 27, 2020/ASVINA 5, 1942 (SAKA)

इस भाग में थिन पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 27th September, 2020/Asvina 5, 1942 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 26th September, 2020 and is hereby published for general information:—

THE JAMMU AND KASHMIR OFFICIAL LANGUAGES ACT, 2020

No. 23 OF 2020

[26th September, 2020.]

An Act to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Jammu and Kashmir Official Languages Act, 2020.

(2) It extends to the Union territory of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Short title,
extent and
commencement.

Provided that the Administrator may appoint different dates for different areas in the Union territory.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(b) "Union territory" means the Union territory of Jammu and Kashmir.

Official languages of Union territory.

3. With effect from such date as the Administrator may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, the Kashmiri, Dogri, Urdu, Hindi and English languages shall be the official languages to be used for all or any of the official purposes of the Union territory:

Provided that the English language may continue to be used, for those administrative and legislative purposes, in the Union territory for which it was being used before the commencement of this Act:

Provided further that the business in the Legislative Assembly of the Union territory shall be transacted in the official language or languages of the Union territory.

Promotion and development of regional languages.

4. (1) The Administrator may, for the promotion and development of regional languages of the Union territory, take necessary steps to strengthen the existing institutional mechanisms such as the Academy of Art, Culture and languages in the Union territory.

(2) The institutional mechanisms referred to in sub-section (1) shall make special efforts for the promotion and development of Gojri, Pahari and Punjabi languages.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092020-222108
CG-DL-E-29092020-222108

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3024]
No. 3024]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3394(अ).—जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020 (2020 का 23) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 29 सितम्बर, 2020 को एतद्वारा वह तारीख नियत करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 11012/28/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF JAMMU, KASHMIR AND LADAKH AFFAIRS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

S.O. 3394(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Jammu and Kashmir Official Languages Act, 2020 (23 of 2020), the Central Government hereby appoints the 29th day of September, 2020, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 11012/28/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 23)

[26 सितम्बर, 2020]

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग
में लाई जाने वाली भाषाओं और उससे संबंधित
या आनुषंगिक विषयों और उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020 है।
- (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र पर है।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे: परन्तु प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर सकेंगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारंभ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्रशासक” से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उप राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) “संघ राज्यक्षेत्र” से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।

संघ राज्यक्षेत्र की राजभाषाएं।

3. संघ राज्यक्षेत्र के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाएं उस तारीख से, जो प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, प्रयोग की जाने वाली राजभाषाएं होंगी:

परंतु अंग्रेजी भाषा संघ राज्यक्षेत्र में उन प्रशासनिक और विधायी प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी जिनके लिए यह इस अधिनियम के लागू होने से पहले प्रयोग में लाई जाती थी:

परंतु यह और कि संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कारबार का संचालन संघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा या भाषाओं में किया जाएगा।

प्रादेशिक भाषाओं का संवर्धन और विकास।

4. (1) प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र की प्रादेशिक भाषाओं का संवर्धन और विकास करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र में कला, संस्कृति और भाषा अकादमी जैसे विद्यमान संस्थागत तंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संस्थागत तंत्र गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी भाषाओं का संवर्धन और विकास करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे।